



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249093
CG-DL-E-03102023-249093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4081]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/ आश्विन 5, 1945

No. 4081]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

का.आ. 4251(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (आठवाँ) संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 29 के उप खंड (3) में,-

(i) शब्दों "एक वर्ष" के स्थान पर "छह महीने" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "2022" अंको के स्थान पर "2023" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1-6/2020 उर्वरक विधि]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक सा .का. नि 758(अ) , द्वारा तारीख 25 सितंबर, 1985 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3831(अ) द्वारा, तारीख 29 अगस्त, 2023 को संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 27th September, 2023

S.O. 4251(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: --

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Eighth Amendment)(Order), 2023
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, in sub-clause (3) of clause 29,-
 - (i) for the words “one year” the words “six months” shall be substituted
 - (ii) for the figure “2022” the figure “2023” shall be substituted.

[F.No.1-6/2020Fertlaw]

YOGITA RANA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), vide number GSR. 758 (E) dated 25th September, 1985 and was last amended vide number SO. 3831(E), dated 29th August, 2023.